राजस्थान में पंचायतीराज के अधीन प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की भर्ती की विवेचना :

डॉ. भागीरथमल
व्याख्याता – लोकप्रषासन विभाग
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर

सारांश :-

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन आने वाली प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियमानुसार की जाती है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के अधीन विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती में वरिष्ठता का लाभ दिया जाता था। इसके तहत वर्ष 1995 से पहले बी०एड० या एस०टी०सी० करने वाले अभ्यर्थियों को दो अंक प्रतिवर्ष और इसके बाद प्रतिवर्ष का एक अंक बोनस दिया जाता था। अधिकतम 6 अंक बोनस दिया जाता था। जून, 1998 में नियम परिवर्तन कर इस तरह के बोनस अंक प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पहले सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा व ट्रेनिगं (एस०टी०सी० या बी0एड) को बराबर प्राथमिकता देते हुए दोनों परीक्षाओं के 50-50 प्रतिशत मैरिट सूची में जोड़ा जाता था। बोनस अंक गृह राज्य (राजस्थान) के 10 अंक राज्य के अभ्यर्थियों को मिलते हैं। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को हतोत्साहित करने तथा राज्य के बेरोजगारों को नियुक्ति में वरीयता देने की मंशा से किये गये हैं। इससे पहले सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के और उसी जिले के अभ्यर्थियों को क्रमशः पांच और दस अंक अतिरिक्त देने के आदेश दिए थे।"

राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत मानते हुए 21 अक्टूबर 1999 को निर्णय दिया कि अभ्यर्थियों को ग्रामीण और जिले के स्थायी निवासी होने के बोनस अंको का लाभ नहीं दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा यह फैसला 21 अक्टूबर 1999 से पहले नियुक्ति पा चुके शिक्षकों पर लागू नहीं माना गया।

"राज्य की विभिन्न जिला परिषदों ने सन् 1998 में पंचायत समितियों के अधीन चलने वाली प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रसारित किया। नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता के आलावा खेल, स्काउट, एनसीसी जैसी गतिविधियों और जिस जिले या ग्रामीण क्षेत्र की भर्ती है वहां के बोनस अंक भी दिए जाने का प्रवधान किया गया। इस प्रावधान के तहत जिस जिले में भर्ती होनी थी उस जिले के स्थायी निवासी आवेदक के लिए दस और उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी आवेदक के लिए पांच बोनस अंक दिए जाने थे। इस प्रावधान को भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 16 का उल्लंघन और निवास के आधार पर नौकरी में नागरिकों में भेदभावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने वाला बताते हुए इसे रद्द करने की प्रार्थना 23 आशार्थी शिक्षकों द्वारा विभिन्न याचिकाओं में की गई। याचिकाओं में जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया था। याचिकाओं के अनुसार राज्य सरकार के अधीन संचालित कोई भी कार्यालय नागरिकों के निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य सरकार की नौकरी नागरिकों की सेवा के लिए होती है। न्यायालय के अनुसार अगर इसमें किसी विशेष ग्रामीणी या जिले के स्थायी नागरिकों को वरीयता दी जाती है तो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

वर्तमान समय में पंचायती राज के अधीन प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की भर्ती निम्नानुसार होती है :-

1. पंचायत राज के तहत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती एकल बिन्दु चयन प्रक्रिया के तहत होगी। सभी जिला परिषदों में राज्य में एक ही दिन शिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार होगा। पंचायत राज के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जुलाई तक नई भर्ती का काम पूरा हो जाएगा ।

2. अब केवल गृह राज्य (राजस्थान) के ही 10 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे ।

3. नियुक्ति के लिए तैयार की जाने वाली वरीयता सूची में सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण को 50 प्रतिशत महत्त्व (वेटेज) दिया जाता है।

4. सीनियर सैकेण्डरी को 20 प्रतिशत तथा

5. ट्रेनिंग (एस०टी०सी० एवं बी०एड०) को 30 प्रतिशत महत्व दिया जाता है ।

6. खेलकूद में जिला स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 1 अंक, राज्य स्तर पर अभ्यर्थी को 3 अंक व राष्ट्रीय स्तर वाले को 5 अंक अतिरिक्त दिये जाते हैं।

7. अन्तर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय अन्तर संकाय को 1 अंक, विश्वविद्यालय जोनल प्रतियोगियों को 3 अंक व इंटर जोन व अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय को 5 अंक दिए जाते है।

मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति :

राज्य सरकार के नियमानुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा, पुत्र या पुत्री को, जो व्यस्क होना आवश्यक है, में से एक को सरकारी नौकर दी जावेगी। ऐसी नौकरी कर्मचारी की मृत्यु से एक माह में दिये जाने का प्रवधान है। परिवार की सहमति से एक व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाता है। अन्य व्यक्तियों को जो कि नौकरी के लिए दावेदार हो सकते है को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा।

दिनांक 08 जनवरी, 2001 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक में फैसला किया गया कि राज्य में विधवा व परित्यक्त महिलाओं को शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। शिक्षकों की कुल रिक्तियों में से 10 प्रतिशत पर विधवा व परित्यक्त महिलाओं तथा 3 प्रतिशत पर विकलांगों को लगाया जायेगा। सरकारी भर्तियों पर लगी पाबन्दी इन वर्गों के लिए लागू नही होंगी। विधवा व परित्यक्त महिलाओं की नियुक्ति के समय एस०टी०सी० या बी०एड० प्रशिक्षण की अनिवार्यता से भी छूट होगी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 8 प्रतिशत विधवाओं तथा 2 प्रतिशत परित्यक्त महिलाओं और 3 प्रतिशत विकलांगों को शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति मिलेगी। शिक्षक पद के लिए विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं जो दस जमा दो उत्तीर्ण हैं, वे अध्यापकों की तृतीय श्रेणी तथा जो 45 प्रतिशत अंको से स्नातक महिलाएं है, द्वितीय श्रेणी के अध्यापक पद के लिए पात्र होंगी।

राज्य सरकार ने सेवारत विधवा एवं परित्यक्ता अध्यापिकाओं को बी०एड० प्रशिक्षण के लिए सीधे प्रवेश देने का निर्णय किया है। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद ने भी निर्धारित न्यूनतम योग्यता होने पर सेवारत सभी विधवा एवं परित्यक्ताओं को बिना पूर्व परीक्षा के प्रवेश दिए जाने की अनुमति दे दी है। भवष्यि में भी उन्हें बिना पूर्व परीक्षा प्रवेश की सुविधा मिल पाएगी।

उत्तरदाताओं की रायशुमारी

(a) आपको अध्यापक बनने की प्रेरणा किससे मिली ? ::

तालिका 3.1

अध्यापक बनने के लिए प्रेरणा स्रोत दर्शाते हुए :-

प्रेरणा स्रोत	(अ) माता-पिता से	(ब) राजनेता से	(स) स्वेच्छा से	(द) परिस्थिति जन्य	कुल उत्तरदाता
उत्तरदाताओं की संख्या	80	0	56	26	162
प्रतिशत	49.38	0	34.57	16.05	100

तालिका 3.1 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं 162 में से 80 उत्तदाताओं ने बताया कि उनको अध्यापक बनने की प्रेरणा माता-पिता से मिली। जो कि कुल संख्या का 49.38 प्रतिशत है। राजनेता से एक भी उत्तरदाता को अध्यापक बनने की प्रेरणा नहीं मिली। 56 उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से प्रेरित होना बताया जो कि कुल संख्या का 34.57 प्रतिशत है। 26 उत्तरदाताओं ने परिस्थिति जन्य अध्यापक बने जो कि कुल संख्या का 16.05 प्रतिशत है।

क्या आप पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक भर्ती प्रणाली को सही मानते हैं ?

तालिका 3.2

शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में उत्तरदाताओं के विचार

उत्तर	हाँ	नहीं	मालूम नहीं	कुल उत्तरदाता
उत्तरदाताओं की संख्या	124	24	14	162
प्रतिशत	76.54	14.82	8.64	100

तालिका 3.2 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं 162 में से 124 उत्तरदाताओं ने पंचायतीराज व्यवस्था में शिक्षक भर्ती प्रणाली को सही माना है। जो कि कुल संख्या का 76.54 प्रतिशत है। 24 उत्तरदाताओं ने पंचायतीराज व्यवस्था में शिक्षक भर्ती प्रणाली को सही नहीं माना है जो कि कुल संख्या का 14.82 प्रतिशत है। 14 उत्तरदाताओं ने इस भर्ती प्रणाली के बारे में मालूम नहीं उत्तर दिया जो कि कुल संख्या का 8.64 प्रतिशत है।

(क) शिक्षक भर्ती की योग्यताओं में वर्तमान व्यवस्था क्या है ? :

तालिका 3.3

शिक्षक भर्ती की योग्यताओं में वर्तमान व्यवस्था के बारे में उत्तरदाताओं के विचार दर्शाते हुए –

योग्यता	(1)शैक्षणिक योग्यता		(2) निवास स्थान			(3) न्यूनतम आयु						(4) अधिकतम आयु		
	एस०टी० सी०/बी० एड़०	एन.आर.	स्वय का जिला	राज० का मूल निवासी	एन. आर.	18 वर्ष	20	21	22	23	एन.आ र.	पुरुष 33 महि ला 38	पुरुष 35 महिला 40	एन. आर.
उत्तरदाताओं की संख्या	156	6	90	66	6	100	15	37	4	4	2	100	60	2
प्रतिशत	96.30	3.70	55.56	40.74	3.70	61.73	9.26	22.80	2.47	2.47	1.23	61.73	37.04	1.23

तालिका 3.3 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं 162 में से 156 उत्तरदाताओं ने वर्तमान व्यवस्था में शिक्षक भर्ती में (1) शैक्षणिक योग्यता में एस०टी०सी० या बी०एड़० होना बताया है जोकि कुल संख्या का 96.30 प्रतिशत है। 6 उत्तरदाताओं ने कोई भी जवाब नहीं दिया जो कि कुल संख्या का 3.70 प्रतिशत है। (2) निवास स्थान की योग्यता के बारे में 90 उत्तरदाताओं ने स्वयं का जिला होना बताया है जो कुल संख्या का 55.56 प्रतिशत है। 66 उत्तरदाताओं ने राजस्थान का मूल निवासी होना बताया है जो कि कुल संख्या का 40. 74 प्रतिशत है। 16 उत्तरदाताओं ने निवास स्थान की योग्यता के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है जो कुल संख्या का 3. 70 प्रतिशत है । (3) न्यूनतम आयु की योग्यता के बारे में 100 उत्तरदाताओं ने 18 वर्ष बताया है जो कि कुल संख्या का 61.73 प्रतिशत है। 15 उत्तरदाताओं ने 20 वर्ष को न्यूनतम आयु शिक्षक भर्ती के लिए बताया है जो कूल संख्या का 9.26 प्रतिशत है। 37 उत्तरदाताओं ने 21 वर्ष को न्यूनतम आयु बताया है जो कुल संख्या का 22.84 प्रतिशत है। 4 उत्तरदाताओं ने 22 वर्ष तथा 4 उत्तरदाताओं ने 23 वर्ष शिक्षक भर्ती के लिए वर्तमान व्यवस्था में न्यूनतम आयु होना बताया है जो कि कूल संख्या का क्रमशः 2.47 प्रतिशत है। 2 उत्तरदाताओं ने न्यूनतम आयु के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है जो कि कुल संख्या का 1.23 प्रतिशत है। (4) अधिकतम आयु सीमा के बारें में पुरुषों के लिए 33 वर्ष तथा महिलाओं के लिए38 वर्ष 100 उत्तरदाताओं ने होना बताया है जो कि कुल संख्या का 61.73 प्रतिशत है। 60 उत्तरदाताओं ने पुरुषों के लिए 35 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 40 वर्ष वर्तमान व्यवस्था में शिक्षक भर्ती योग्यताओं में अधिकतम आयु सीमा बताया है जो कि कुल संख्या का 37.04 प्रतिशत है। 2 उत्तरदाताओं ने अधिकतम आयु सीमा के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया जो कुल संख्या का 1.23 प्रतिशत है।

वर्तमान नियमानुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गईं। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। विधवा अथवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा नहीं होगी (अधिकतम 60 वर्ष) ।

सन्दर्भ सूची :-

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 78 (1)
2. उपर्युक्त धारा 78 (2)
3. उपर्युक्त, धारा 79 (1)
4. उपर्युक्त, धारा 79 (2)
5. उपर्युक्त धारा 80 (1)
6. उपर्युक्त धारा 80 (3)
7. उपर्युक्त धारा 80 (4)
8. उपर्युक्त, धारा 86
9. उपर्युक्त धारा 82 (2)
10. उपर्युक्त, धारा 82 (4)
11. उपर्युक्त धारा 89 (1) (2)
12. उपर्युक्त धारा 89 (4)
13. उपर्युक्त, धारा 89 (5)
14. उपर्युक्त, धारा 89 (6)
15. उपर्युक्त, धारा 89 (7)